रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2017/वैशाख 19, 1939
No. 196] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2017/VAISAKHA 19, 1939

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 27 अप्रैल, 2017

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/6/143/2017 – बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 और धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उपधारा (2) के खंड (जेडडी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और विनियमों का प्रारंभ ---

क. ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 के नाम से जाने जाएँगे ।

ख. ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000 का अधिक्रमण करेंगे।

ग. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ. ---

क. इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

i. "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

ii. "बीमांकक" से बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क) में यथापरिभाषित बीमांकक अभिप्रेत है;

iii. "नियुक्त बीमांकक" से नीचे विनियम 3 में उल्लिखित बीमांकक अभिप्रेत है;

iv. "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

v. "भारतीय बीमांकक संस्थान" से बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 3 के अधीन स्थापित सांविधिक निकाय अभिप्रेत है;

vi. "व्यावसायिक मानक" से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा अपने सदस्यों को मार्गदर्शी नोटों/ बीमांकिक प्रथा मानक के निर्गम के द्वारा विनिर्दिष्ट प्रथा का मानक अभिप्रेत है।

ख. इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया. ---

क. भारत में बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत बीमाकर्ता उप-विनियम (ख) और उप-विनियम (च) के अधीन बीमांकक की नियुक्ति करेगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए `नियुक्त बीमांकक' के रूप में जाना जाएगा।

ख. किसी बीमाकर्ता के लिए नियुक्त बीमांकक के रूप में कोई व्यक्ति पात्र होगा, यदि वहः

i. साधारणतया भारत का/की निवासी हो

ii. बीमांकक अधिनियम, 2006 के अनुसार फेलो सदस्य हो

iii. जीवन बीमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनेवाला/ करनेवाली फेलो सदस्य हो

क. जीवन बीमा में विशेषज्ञता विषय उत्तीर्ण किया हो। वर्तमान में विशेषज्ञता का अर्थ भारतीय बीमांकक संस्थान के द्वारा यथानिर्धारित रूप में विशेषज्ञ अनुप्रयोग स्तर होगा।

ख. जीवन बीमा उद्योग में कम से कम 10 वर्ष के संगत अनुभव से युक्त हो जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव हो।

ग. आवेदक के पास किसी जीवन बीमाकर्ता के वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन में 3 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा।

iv. साधारण बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनेवाला/ करनेवाली फेलो सदस्य होः

क. साधारण बीमा में विशेषज्ञता विषय उत्तीर्ण किया हो। वर्तमान में, विशेषज्ञता का अर्थ भारतीय बीमांकक संस्थान के द्वारा यथानिर्धारित रूप में विशेषज्ञ अनुप्रयोग स्तर होगा।

ख. साधारण बीमा उद्योग में कम से कम 7 वर्ष के संगत अनुभव से युक्त हो, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा।

ग. आवेदक के पास किसी साधारण बीमाकर्ता के वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन में कम से कम 1 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा।

v. किसी स्वास्थ्य बीमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनेवाला/ करनेवाली फेलो सदस्य होः

क. स्वास्थ्य अथवा साधारण बीमा में विशेषज्ञता विषय उत्तीर्ण किया हो। वर्तमान में, विशेषज्ञता का अर्थ भारतीय बीमांकक संस्थान के द्वारा यथानिर्धारित रूप में विशेषज्ञ अनुप्रयोग स्तर होगा।

ख. स्वास्थ्य अथवा साधारण बीमा उद्योग में कम से कम 7 वर्ष का संगत अनुभव प्राप्त हो जिसमें से कम से कम 2 वर्ष फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा।

ग. किसी स्वास्थ्य अथवा साधारण बीमाकर्ता के वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन के संबंध में कम से कम 1 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा।

vi. बीमाकर्ता का कर्मचारी हो।

vii. ऐसा व्यक्ति हो जिसने कोई व्यावसायिक भंग अथवा अन्य कदाचार नहीं किया हो।

viii. भारत में किसी अन्य बीमाकर्ता का नियुक्त बीमांकक नहीं हो।

ix. ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किया गया व्यवसाय (प्रैक्टिस) का प्रमाणपत्र हो।

x. 65 वर्ष से अधिक आयु का न हो।

ग. इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को यथाविद्यमान वर्तमान नियुक्त बीमांककों के लिए प्रावधानः

(i) इस विनियम की अधिसूचना की तारीख को यथाविद्यमान नियुक्त बीमांककों को विनियम 3(ख)(iii), 3(ख)(iv) अथवा 3(ख)(v) के अनुसार विशेषज्ञता विषय उत्तीर्ण करने की आवश्यकता से छूट दी जाती है बशर्ते कि वह इन विनियमों की अधिसूचना तारीख को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता/ करती होः

क. जीवन बीमाकर्ता के मामले में, अधिसूचना की तारीख से पूर्ववर्ती 7 वर्ष की अवधि के दौरान उसने भारत में किसी जीवन बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के रूप में कम से कम 5 वर्ष के लिए कार्य किया हो।

ख. साधारण बीमाकर्ता के मामले में, अधिसूचना की तारीख से पूर्ववर्ती 5 वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 3 वर्ष के लिए उसने भारत में किसी साधारण बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के रूप में कार्य किया हो।

ग. स्वास्थ्य बीमाकर्ता के मामले में, अधिसूचना की तारीख से पूर्ववर्ती 5 वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 3 वर्ष के लिए उसने भारत में किसी स्वास्थ्य बीमाकर्ता अथवा साधारण बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के रूप में कार्य किया हो।

घ. पुनर्बीमाकर्ता के मामले में, अधिसूचना की तारीख से पूर्ववर्ती 5 वर्ष के दौरान कम से कम 3 वर्ष के लिए उसने भारत में किसी साधारण बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के रूप में कार्य किया हो।

(ii) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को विद्यमान नियुक्त बीमांकक, जिन्होंने उपर्युक्त विनियम 3(ख)(iii), 3(ख)(iv) अथवा 3(ख)(v) के अनुसार विशेषज्ञता विषय उत्तीर्ण नहीं किया है तथा जो उपर्युक्त उप-विनियम (ग)(i) के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करते, इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष के अंदर संबंधित विशेषज्ञता विषय उत्तीर्ण करेंगे।

(iii) वर्तमान नियुक्त बीमांकक जिन्होंने इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त विनियम 3(ख)(iii), 3(ख)(iv) अथवा 3(ख)(v) के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार पहले ही विशेषज्ञता विषय उत्तीर्ण कर लिया हो, ऐसे अनुमोदनों की उन्हीं शर्तों पर नियुक्त बीमांकक के रूप में जारी रहने के लिए पात्र होंगे।

घ. बीमाकर्ता फार्म आईआरडीए एए-1 में आवेदन प्रस्तुत करते हुए नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।

ङ. प्राधिकरण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के अंदर या तो उसे स्वीकार करेगा या अस्वीकृत करेगा।

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले, प्राधिकरण बीमाकर्ता को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर देगा।

च. बीमाकर्ता जो विनियम 3 के उप-विनियम (ख) के अनुसार नियुक्त बीमांकक को नियुक्त नहीं कर पाता, शर्तों में छूट देने के लिए लिखित में प्राधिकरण के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करेगा। अध्यक्ष एक अथवा उससे अधिक शर्तों के अंतर्गत छूट प्रदान कर सकता है। तथापि, शर्तों 3(ख)(ii), 3(ख)(vii) और 3(ख)(ix) के संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

छ. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदन की तारीख को अथवा उसके बाद प्रभावी होगी।

4. आवेदन की अस्वीकृति का प्रभाव.-- बीमाकर्ता विनियम 3(घ) के अंतर्गत उल्लिखित आवेदन की अस्वीकृति से चार सप्ताह के अंदर इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, नियुक्त बीमांकक के रूप में विनियम 3 (घ) के अधीन, प्राधिकरण के द्वारा अस्वीकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करेगा।

5. व्यवसाय की निरंतरताः कोई भी बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक के बिना बीमा / पुनर्बीमा का व्यवसाय एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं करेगा। इस संबंध में किसी भी अननुपालन की स्थिति में बीमा अधिनियम, 1938 के संबंधित उपबंधों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

6. अस्थायी उपबंधः -- प्राधिकरण का अध्यक्ष उन स्थितियों में ध्यान रखने के लिए बीमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध अस्थायी उपबंधों के संबंध में समय-समय पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है, जहाँ:

क. बीमाकर्ता नियुक्त बीमांककों की नियुक्ति करने में समर्थ नहीं हों

ख. युवा बीमांककों के लिए परामर्श (मेंटरिंग) की आवश्यकता हो ताकि सांविधिक कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

7. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति की समाप्ति. —

क. नियुक्त बीमांकक को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन का प्रत्याहार (विदड्रॉअल) करने की नोटिस निम्नलिखित कारणों पर दी जाएगीः

i. कि उसका विनियम (3) के उप-विनियम (ख) के अनुसार पात्र होना समाप्त हो जाता है, अथवा;

ii. कि उसने प्राधिकरण की राय में इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों और दायित्वों का पर्याप्त रूप से और उचित रूप से निष्पादन नहीं किया है।

ख. प्राधिकरण ऐसे नियुक्त बीमांकक को नोटिस देने के बाद उसको अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा तथा उसके बाद या तो अनुमोदन को समाप्त करते हुए या जारी की गई नोटिस को वापस लेते हुए उपयुक्त आदेश जारी करेगा।

ग. यदि किसी व्यक्ति का किसी बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के रूप में रहना उप-विनियम (क) में उल्लिखित कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से समाप्त होता है, तो बीमाकर्ता और नियुक्त बीमांकक ऐसी समाप्ति से एक सप्ताह के अंदर इसके लिए कारण प्राधिकरण को सूचित करेंगे।

8. नियुक्त बीमांकक की शक्तियाँ:--

क. नियुक्त बीमांकक के लिए बीमाकर्ता के कब्जे में अथवा नियंत्रण में स्थित समस्त सूचना और सभी दस्तावेजों तक पहुँच होगी, यदि ऐसी पहुँच नियुक्त बीमांकक के कार्यों और कर्तव्यों के उचित और प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक हो।

ख. नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से इस विनियम के उप-विनियम (क) के प्रयोजन के लिए कोई भी सूचना माँग सकता है।

ग. नियुक्त बीमांकक निम्नलिखित के लिए पात्र होगाः

(i) बीमाकर्ता के निदेशकों की बैठक सहित प्रबंधक-वर्ग की सभी बैठकों में उपस्थित होना;

(ii) ऐसी बैठक में किसी भी विषय पर बोलना और चर्चा करना, --

क. जो निदेशकों को दी गई बीमांकिक सलाह से संबंधित है;

ख. जो बीमाकर्ता की शोध-क्षमता (सॉल्वेन्सी) को प्रभावित कर सकता है;

ग. पॉलिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता की क्षमता को प्रभावित कर सकता है;

घ. जिसके संबंध में बीमांकिक सलाह आवश्यक है;

(iii) निम्नलिखित में उपस्थित होना,--

क. बीमाकर्ता के शेयरधारकों अथवा पॉलिसीधारकों की कोई बैठक; अथवा

ख. बीमाकर्ता के सदस्यों की कोई भी अन्य बैठक जिसमें बीमाकर्ता के वार्षिक लेखों अथवा वित्तीय विवरणों पर विचार किया जाना हो अथवा जिसमें नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों के संबंध में किसी विषय पर चर्चा की जाती हो।

9. कर्तव्य और दायित्व. -- विशेष रूप से और पूर्वोक्त विषयों की सामान्यता पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना तथा बीमा उद्योग और पॉलिसीधारकों के हित में बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों और दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगेः—

(i) यह सुनिश्चित करना कि बीमाकर्ता की देयताओँ और आस्तियों के बीमांकिक मूल्यांकन को संचालित करने के प्रयोजन के लिए उसको सभी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं;

(ii) बीमाकर्ता के प्रबंधक-वर्ग को बीमांकिक परामर्श प्रदान करना, विशेष रूप से उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण, बीमा संविदा वाक्यरचना/शब्दचयन, निवेश और पुनर्बीमा के क्षेत्रों में;

(iii) हर समय बीमाकर्ता की शोधक्षमता को सुनिश्चित करना;

(iv) आस्तियों और देयताओँ के प्रमाणीकरण के संबंध में अधिनियम की धारा 64वी के उपबंधों का अनुपालन, जिनका मूल्यांकन उपर्युक्त धारा के अंतर्गत अपेक्षित तरीके से किया गया हो;

(v) शोधक्षमता मार्जिन के अपेक्षित नियंत्रण स्तर के अनुरक्षण के संबंध में अधिनियम की धारा 64वीए के उपबंधों का उपर्युक्त धारा के अंतर्गत अपेक्षित तरीके से अनुपालन;

(vi) ऐसे किसी भी विषय की ओर बीमाकर्ता के प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करना, जिसके संबंध में वह सोचता/सोचती हो कि निम्नलिखित से बचने के लिए बीमाकर्ता द्वारा कार्रवाई करने की आवश्यकता है--

(क) अधिनियम का कोई भी उल्लंघन; अथवा

(ख) पॉलिसीधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव;

(vii) समय-समय पर दिये जानेवाले प्राधिकरण के निदेशों का अनुपालन;

(viii)यह सुनिश्चित करना कि बीमाकर्ता की समग्र कीमत-निर्धारण नीति बीमाकर्ता की समग्र जोखिम-अंकन और दावा प्रबंध नीति के अनुरूप हो;

(ix) पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना;

(x) जोखिम प्रबंध प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान करना;

(xi) प्राधिकरण के द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना के संबंध में अधिनियम की धारा 21 के उपबंधों का अनुपालन;

(xii) उपर्युक्त के अलावा, जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

क. अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में बीमांकिक रिपोर्ट एवं सारांश और अन्य विवरणियों को प्रमाणित करना;

ख. जिन पॉलिसीधारकों की पॉलिसियाँ अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान मृत्यु के कारण से अथवा अन्य प्रकार से भुगतान के लिए परिपक्व होती हैं, उन पॉलिसीधारकों को जीवन बीमाकर्ता द्वारा देय अंतरिम बोनस अथवा बोनसों की सिफारिश के संबंध में अधिनियम की धारा 112 के उपबंधों का अनुपालन करना;

ग. अधिनियम की धाराओं 40बी और 40सी का अनुपालन करना;

घ. यह सुनिश्चित करना कि बीमा उत्पादों की प्रीमियम दरें उचित हैं;

ङ. यह प्रमाणित करना कि गणितीय आरक्षित निधियों का निर्धारण भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी नोटों और प्राधिकरण द्वारा दिये गये किन्हीं भी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है;

च. यह सुनिश्चित करना कि देयताओं के मूल्यांकन और उन सहभागी पॉलिसीधारकों, जो अधिशेष (सरप्लस) के अंश के लिए पात्र हैं, को अधिशेष के वितरण के विषय में पॉलिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं पर विचार किया गया है;

छ. बीमा उद्योग और पॉलिसीधारकों के हित में बीमांकिक परामर्श प्रस्तुत करना;

ज. गणितीय आरक्षित निधियों के परिकलन का समन्वय करना;

झ. गणितीय आरक्षित निधियों के परिकलन में प्रयुक्त कार्यपद्धतियों और अंतर्निहित मॉडलों, एवं किये गये अनुमानों की उपयुक्तता को सुनिश्चित करना;

ञ. गणितीय आरक्षित निधियों के परिकलन में प्रयुक्त डेटा की पर्याप्तता और गुणवत्ता का निर्धारण करना;

ट. बीमाकर्ता के बोर्ड को गणितीय आरक्षित निधियों के परिकलन की विश्वसनीयता और पर्याप्तता के बारे में सूचित करना;

(xiii)उपर्युक्त (i) से (xi) तक के अतिरिक्त, साधारण बीमा व्यवसाय अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं : -

क. यह सुनिश्चित करना कि बीमा उत्पादों की प्रीमियम दरें उचित हैं;

ख. यह सुनिश्चित करना कि देयताओं के निर्धारण में बीमांकिक सिद्धांतों का प्रयोग उपगत परंतु सूचित न किये गये दावों (आईबीएनआर) के लिए आरक्षित निधियों और अन्य आरक्षित निधियों (उपगत परंतु पर्याप्त रूप से सूचित न किये गये दावों (आईबीएनईआर) सहित) तथा प्रीमियम कमी आरक्षित निधि (पीडीआर) के परिकलन में किया गया है जहाँ प्राधिकरण के द्वारा बीमांकिक सलाह अपेक्षित की गई हो;

ग. अधिनियम की धारा 40बी और 40सी का अनुपालन करना;

घ. आईबीएनआर और अन्य आरक्षित निधियों (आईबीएनईआर और पीडीआर सहित) के परिकलन में समन्वय करना, जहाँ प्राधिकरण के द्वारा बीमांकिक सलाह अपेक्षित की गई हो;

ङ. आईबीएनआर और अन्य आरक्षित निधियों (आईबीएनईआर और पीडीआर सहित) के परिकलन में प्रयुक्त कार्यपद्धतियों और अंतर्निहित मॉडलों एवं किये गये पूर्वानुमानों की उपयुक्तता को सुनिश्चित करना, जहाँ प्राधिकरण के द्वारा बीमांकिक सलाह अपेक्षित की गई हो;

च. आईबीएनआर और अन्य आरक्षित निधियों (आईबीएनईआर और पीडीआर सहित) के परिकलन में प्रयुक्त डेटा की पर्याप्तता और गुणवत्ता का निर्धारण करना जहाँ प्राधिकरण के द्वारा बीमांकिक सलाह अपेक्षित की गई हो;

छ. बीमाकर्ता के बोर्ड को आईबीएनआर और अन्य आरक्षित निधियों (आईबीएनईआर और पीडीआर सहित) के परिकलन की विश्वसनीयता और पर्याप्तता के बारे में सूचित करना, जहाँ प्राधिकरण के द्वारा बीमांकिक सलाह अपेक्षित की गई हो।

(xiv) प्राधिकरण को एक उचित समय के अंदर अपना अभिमत लिखित में सूचित करना कि क्या,

क. बीमाकर्ता ने अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम का उल्लंघन किया है;

ख. उल्लंघन ऐसे स्वरूप का है कि वह बीमाकर्ता के द्वारा जारी की गई पॉलिसियों के स्वामियों अथवा लाभार्थियों के हितों को उल्लेखनीय रूप में प्रभावित कर सकता है;

ग. बीमाकर्ता के निदेशक ऐसी कार्रवाई करने में विफल हुए हैं जो इस विनियम के अंतर्गत उसके कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करने में उसे समर्थ बनाने के लिए उचित रूप से आवश्यक है; अथवा

घ. बीमाकर्ता का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी इस विनियम के अंतर्गत उसके कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करने से उसे निवारित करने के लिए सुविचारित आचरण में लिप्त रहा है।

(xv) यदि किसी नियुक्त बीमांकक को बीमांकक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है, तो नियुक्त बीमांकक के रूप में उसका विद्यमान रहना तत्काल समाप्त हो जाता है।

(xvi) अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करते समय, नियुक्त बीमांकक सामान्य रूप से स्वीकृत बीमांकिक सिद्धांतों और व्यवहार को उचित रूप से ध्यान में रखेगा/ रखेगी।

10. नियुक्त बीमांकक का पूर्ण विशेषाधिकार. ---

क. एक नियुक्त बीमांकक के पास, नियुक्त बीमांकक के रूप में अपने कार्यों के निष्पादन के प्रयोजन के लिए, कोई भी मौखिक या लिखित वक्तव्य देने का पूर्ण विशेषाधिकार होगा। यह किसी अन्य विनियम के अधीन नियुक्त बीमांकक को प्रदत्त किसी भी अन्य विशेषाधिकार के अतिरिक्त है।

ख. नियुक्त बीमांकक के नियुक्ति पत्र का ऐसा कोई भी प्रावधान, जो इन विनियमों के अधीन उसके कर्तव्यों, दायित्वों और विशेषाधिकारों को सीमित करता हो अथवा निवारित करता हो, अमान्य होगा।

11. हितों का संघर्ष

नियुक्त बीमांकक इन विनियमों के अनुसार कार्य करेगा/ करेगी तथा वह ऐसी किसी अन्य क्षमता में कार्य नहीं करेगा/ करेगी जो इन विनियमों के अनुसार नियुक्त बीमांकक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने में उसके लिए हितों के संघर्ष के रूप में परिणत हो सकता हो।

12. पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए प्रयोज्यता

ये विनियम भारत में स्थापित शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय में लगे हुए विदेशी बीमाकर्ता की स्थिति को छोड़कर, भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाले सभी पुनर्बीमाकर्ताओं पर लागू होंगे।

13. स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति

इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे जानेवाले उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असाधारण/62/17/(161)]

<u>फार्म आईआरडीए-एए-1</u>

नियुक्त बीमांकक का विवरण

1. बीमाकर्ता का नामः
2. बीमांकक का नामः
3. आवासीय पता टेलीफोन संख्या सहितः [पिछले पाँच वर्ष के दौरान आवासीय पता दिया जाए]

3.1 क्या साधारणतः भारत का निवासी है?

4. कार्यालयीन पता टेलीफोन संख्या सहितः
5. नियुक्ति की तारीखः
6. जन्मतिथि और जन्मस्थानः
7. मोबाइल संख्याः
8. ई-मेल पताः
9. वार्षिक पारिश्रमिक और अनुषंगी लाभः

10. भारतीय बीमा कंपनी (जिसके लिए आवेदक नियुक्त बीमांकक है) में शेयरधारिता (शेयरधारिता के प्रतिशत में) एवं प्रवर्तक की कंपनियों में भी शेयरधारिता, यदि कोई होः

11. व्यावसायिक अर्हताएँ :

12. कार्य अनुभवः

12.1 उप विनियम 3(ख)(iii)/ 3(ख)(iv)/ 3(ख)(v) के अनुसार अनुभव का निरूपणः

12.1.क. संबद्ध कुल अनुभव का विवरणः

12.1.ख. संबद्ध अर्हता-प्राप्ति के बाद अनुभव का विवरणः

12.1.ग. वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन के संबंध में अर्हता-प्राप्ति के बाद अनुभव का विवरणः

13. उपलब्धियाँ तथा वर्तमान में और पूर्व में धारित विशेष पदः

14. किन्हीं अन्य फर्मों अथवा कंपनियों के नाम, संस्थापन के देश, पते और प्रधान कार्यकलाप जिनमें आवेदक निदेशक, भागीदार, स्वामी, कर्मचारी, परामर्शदाता, समकक्ष समीक्षक, लाभयुक्त समिति में स्वतंत्र बीमांकक, नियुक्त बीमांकक के लिए परामर्शदाता (मेंटर) रहा हो, पैनल बीमांकक के रूप में कार्य किया हो अथवा किसी भी प्रकार से संबद्ध रहा हो।

14.1. किन्हीं अन्य फर्मों अथवा कंपनियों के नाम, संस्थापन के देश, पते और प्रधान कार्यकलाप जिनमें आवेदक वर्तमान में निदेशक, भागीदार, स्वामी, कर्मचारी, परामर्शदाता, समकक्ष समीक्षक, लाभयुक्त समिति में स्वतंत्र बीमांकक, नियुक्त बीमांकक के लिए परामर्शदाता (मेंटर) है, पैनल बीमांकक के रूप में कार्यरत है अथवा किसी भी प्रकार से वर्तमान में संबद्ध है।

15. भारत में अथवा अन्यत्र अपराधों के लिए किसी भी आपराधिक दोष सिद्धि का विवरणः

16. क्या आवेदक को पिछले दस वर्षों के दौरान दिवालिये के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है? यदि हाँ, तो ब्योरा दें :

17. क्या आवेदक को किसी व्यावसायिक निकाय अथवा किसी बीमा विनियमनकर्ता के द्वारा अनुशासित किया गया है? यदि हाँ, तो ब्योरा दें :

18. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 के विनियम 11 के अनुसार हितों के संघर्ष के संबंध में घोषणा

मैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 के अनुसार कार्य करूँगा / करूँगी तथा मैं किसी अन्य क्षमता में कार्य नहीं करूँगा / करूँगी जो इन विनियमों के अनुसार नियुक्त बीमांकक के रूप में मेरी भूमिका का निर्वाह करने में हितों के संघर्ष में परिणत हो सकता हो।

नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणीकरण

मैं, ... (बीमांकक का नाम)... इसके द्वारा प्रमाणित करता/ करती हूँ कि इस फार्म में दी गई सूचना पूर्ण, सत्य और सही है। मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयं-साक्ष्यांकित प्रतिलिपियाँ भी संलग्न कर रहा/ रही हूँ।

1. भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किया गया फेलोशिप प्रमाणपत्र।
2. भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किया गया नवीनतम व्यवसाय (प्रैक्टिस) का प्रमाणपत्र।
3. विषय विशेषज्ञता के लिए भारतीय बीमांकक संस्थान से प्राप्त दस्तावेजी प्रमाण।

स्थानः

दिनांकः बीमांकक के हस्ताक्षर

बीमाकर्ता के प्रधान अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा प्रमाणीकरणः

प्रस्तावित उम्मीदवार के द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर मैं ....(नाम)............................,

……………(बीमाकर्ता का नाम)…………………………… का प्रधान अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) इसके द्वारा प्रमाणित करता/ करती हूँ कि

1. *प्रस्तावित उम्मीदवार भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 की सभी अपेक्षाएँ पूरी करता/ करती है।

2. *प्रस्तावित उम्मीदवार भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 की निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी नहीं करता/ करतीः

   (कृपया विनियामक उपबंधों के उपयुक्त संदर्भ के साथ, पूरी न की गई अपेक्षाओं का उल्लेख इसके नीचे करें)

3. *मैं इसके द्वारा आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 के उप-विनियम 3(च) के उपबंधों के अनुसार पात्रता की निम्नलिखित अपेक्षाओं के संबंध में छूट के लिए आवेदन करता/ करती हूँ।

   (कृपया उन अपेक्षाओं का उल्लेख करें जिनके संबंध में छूट की माँग की जा रही है)

**जो लागू न हो, उसे काट दें।*

स्थानः

दिनांकः

प्रधान अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के हस्ताक्षर

कार्यालय की मुहर

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 27th April, 2017

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2017

F. No. IRDAI/Reg/6/143/2017.—In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section (2) of section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act,1999 (41 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement. ----

A. These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2017.

B. These regulations supersede the "Insurance Regulatory and Development Authority (Appointed Actuary) Regulations, 2000".

C. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. –

A. In these regulations, unless the context otherwise requires ----

i. "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

ii. "Actuary" means an actuary as defined in clause (a) of sub-section (1) of section 2 of Actuaries Act 2006;

iii. "Appointed Actuary" means an actuary mentioned in Regulation 3 below;

iv. "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

v. "Institute of Actuaries of India " means a statutory body established under Section 3 of The Actuaries Act 2006 (35 of 2006);

vi. "Professional Standard" means the standard of practice specified by the Institute of Actuaries of India by issue of guidance notes/Actuarial Practice Standard to its members.

B. All words and expressions used herein and not defined herein but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Procedure for Appointment of an Appointed Actuary. ---

A. An insurer registered to carry on insurance business in India shall, subject to sub-regulation (B) and sub-regulation (F) appoint an actuary, who shall be known as the 'Appointed Actuary' for the purposes of the Act.

B. A person shall be eligible to be appointed as an Appointed Actuary for an insurer, if he or she is:

i. Ordinarily resident in India;

ii. A Fellow member in accordance with the Actuaries Act, 2006;

iii. A Fellow member satisfying the following requirements in case of a Life insurer:

a. Passed specialization subject in life insurance. Currently, the specialization shall mean Specialist Application level subject as prescribed by the Institute of Actuaries of India.

b. Relevant experience of at least 10 years in life insurance industry out of which at least 5 years shall be post fellowship experience.

c. The applicant shall have at least 3 years post fellowship experience in annual statutory valuation of a life insurer.

iv. A Fellow member satisfying the following requirements in case of a General insurer or reinsurer:

a. Passed specialization subject in general insurance. Currently, the specialization shall mean Specialist Application level subject as prescribed by the Institute of Actuaries of India.

b. Relevant experience of at least 7 years in general insurance industry out of which at least 2 years shall be post fellowship experience.

c. The applicant shall have at least 1 year post fellowship experience in annual statutory valuation of a general insurer.

v. A Fellow member satisfying the following requirements in case of a health insurer:

a. Passed specialization subject in health or general insurance. Currently, the specialization shall mean Specialist Application level subject as prescribed by the Institute of Actuaries of India.

b. Relevant experience of at least 7 years in health or general insurance industry out of which at least 2 years shall be post fellowship experience.

c. At least 1-year post fellowship experience shall be in respect of annual statutory valuation of a health insurer or a general insurer.

vi. An employee of the insurer;

vii. A person who has not committed any breach of professional or other misconduct;

viii. Not an appointed actuary of another insurer in India;

ix. A person who possesses a Certificate of Practice issued by the Institute of Actuaries of India;

x. Not over the age of 65 years.

C. **Provisions for existing Appointed Actuaries as on date of notification of these regulations:**

(i) The existing Appointed Actuaries as on date of notification of this Regulation shall stand exempted from the requirement of passing the subject specialization as per regulation 3(B)(iii), 3(B)(iv) or 3(B)(v) provided he/she satisfies the following conditions as on the date of notification of these Regulations:

a. In case of a life insurer, he/she has worked for at least 5 years as Appointed Actuary of a life insurer in India during 7 years period preceding the date of notification.

b. In case of a general insurer, he/she has worked for at least 3 years as Appointed Actuary of a general insurer in India during 5 years period preceding the date of notification.

c. In case of a health insurer, he/she has worked for at least 3 years as Appointed Actuary of a health insurer or general insurer in India during 5 years period preceding the date of notification.

d. In case of a re-insurer, he/she has worked for at least 3 years as Appointed Actuary of a general insurer in India during 5 years period preceding the date of notification.

(ii) The Appointed Actuaries existing on the date of notification of these Regulations who have not passed the specialization subject as per regulation 3(B)(iii), 3(B)(iv) or 3(B)(v) above and do not comply with the conditions prescribed under sub-regulation (C)(i) above, shall pass the relevant specialization subjects within two years from the date of notification of these regulations.

(iii) The existing Appointed Actuaries who have already passed the specialization subject as required above under regulation 3(B)(iii), 3(B)(iv) or 3(B)(v) above as on date of notification of these regulations, shall be eligible to continue as Appointed Actuary on the same terms and conditions of such approvals.

D. An insurer shall seek the approval of the Authority for the appointment of Appointed Actuary, submitting the application in Form IRDA AA-1.

E. The Authority shall, within thirty days from the date of receipt of application, either accept or reject the same.

Provided that before rejecting the application, the Authority shall give an opportunity of being heard to the insurer.

F. An insurer, who is unable to appoint an Appointed Actuary in accordance with sub-regulation (B) of Regulation 3, shall make an application to the Chairperson of the Authority in writing for relaxation of conditions. The Chairperson may grant relaxations under one or more conditions. However, there shall be no relaxation in respect of conditions 3(B)(ii), 3(B) (vii) & 3(B) (ix).

G. The appointment of an Appointed Actuary shall take effect on or after the date of approval by the Authority.

4. Effect of rejection of the application. ---The insurer shall, within four weeks of rejection of the application referred to under regulation 3(D), apply to the Authority for the appointment of a person other than the one rejected by it, under regulation 3 (D) as an Appointed Actuary, for the purposes of these regulations.

5. Business Continuance: No insurer/reinsurer shall carry on the business of insurance/reinsurance without an Appointed Actuary for a period exceeding one year. Any non-compliance in this regard shall attract appropriate actions under the relevant provisions of the Insurance Act, 1938.

6. Transitory Provisions: - The Chairperson of the Authority may issue guidelines from time to time regarding the transitory provisions available for the insurers to take care of the situations where:

a. Insurers are not able to appoint Appointed Actuaries

b. The young Actuaries need mentoring

so that the statutory works are not hampered.

7. Cessation of Appointment of Appointed Actuary. -

A. An Appointed Actuary shall be given a notice of withdrawal of approval by the Authority on the following grounds:

i. that he or she ceases to be eligible in accordance with sub-regulation (B) of regulation (3), or;

ii. that he or she has, in the opinion of the Authority, failed to perform adequately and properly the duties and obligations of an Appointed Actuary under these regulations.

B. The Authority after serving a notice to such Appointed Actuary shall grant an opportunity of being heard and thereafter issue appropriate order either withdrawing approval or revocation of the notice issued.

C. If a person ceases to be an Appointed Actuary of an insurer otherwise than on the grounds mentioned in sub-regulation (A), the insurer and the Appointed Actuary shall intimate the Authority the reasons there for within one week of such cessation.

8. Powers of Appointed Actuary: —

A. An Appointed Actuary shall have access to all information or documents in possession, or under control, of the insurer if such access is necessary for the proper and effective performance of the functions and duties of the Appointed Actuary.

B. The Appointed Actuary may seek any information for the purpose of sub-regulation (A) of this regulation from any officer or employee of the insurer.

C. The Appointed Actuary shall be entitled:

(i) to attend all meetings of the management including meeting of the directors of the insurer;

(ii) to speak and discuss on any matter, at such meeting, --

a. that relates to the actuarial advice given to the directors;

b. that may affect the solvency of the insurer;

c. that may affect the ability of the insurer to meet the reasonable expectations of policyholders; or

d. on which actuarial advice is necessary.

(iii) to attend, --

a. any meeting of the shareholders or the policyholders of the insurer; or

b. any other meeting of members of the insurer at which the insurer's annual accounts or financial statements are to be considered or at which any matter in connection with the Appointed Actuary's duties is discussed.

9. Duties and obligations. -- In particular and without prejudice to the generality of the foregoing matters, and in the interests of the insurance industry and the policyholders, the duties and obligations of an Appointed Actuary of an insurer shall include: --

(i) Ensuring that all the requisite records have been made available to him or her for the purpose of conducting actuarial valuation of liabilities and assets of the insurer;

(ii) Rendering actuarial advice to the management of the insurer, in particular in the areas of product design and pricing, insurance contract wording, investments and reinsurance;

(iii) Ensuring the solvency of the insurer at all times;

(iv) Complying with the provisions of the section 64V of the Act in regard to certification of the assets and liabilities that have been valued in the manner required under the said section;

(v) Complying with the provisions of the section 64 VA of the Act in regard to maintenance of required control level of solvency margin in the manner required under the said section;

(vi) Drawing the attention of management of the insurer, to any matter on which he or she thinks that action is required to be taken by the insurer to avoid--

(a) Any contravention of the Act; or

(b) Prejudice to the interests of policyholders;

(vii) Complying with the Authority's directions from time to time;

(viii) Ensuring that overall pricing policy of the insurer is in line with the overall underwriting and claims management policy of the insurer;

(ix) Ensuring adequacy of reinsurance arrangements;

(x) Contributing to the effective implementation of the risk management system;

(xi) Complying with the provisions of section 21 of the Act in regard to further information required by the Authority;

(xii) In addition to the above, the duties of an Appointed Actuary of an insurer carrying on life insurance business shall include:

a. Certifying the actuarial report and abstract and other returns as required under section 13 of the Act;

b. Complying with the provisions of the section 112 of the Act in regard to recommendation of interim bonus or bonuses payable by life insurer to policyholders whose policies mature for payment by reason of death or otherwise during the inter-valuation period;

c. Complying with section 40B & 40C of the Act;

d. Ensuring that the premium rates of the insurance products are fair;

e. Certifying that the mathematical reserves have been determined taking into account the guidance notes issued by the Institute of Actuaries of India and any directions given by the Authority;

f. Ensuring that the policyholders' reasonable expectations have been considered in the matter of valuation of liabilities and distribution of surplus to the participating policyholders who are entitled for a share of surplus;

g. Submitting the actuarial advice in the interests of the insurance industry and the policyholders;

h. Coordinating the calculation of mathematical reserves;

i. Ensuring the appropriateness of the methodologies and underlying models used, as well as the assumptions made in the calculation of mathematical reserves;

j. Assessing the sufficiency and quality of the data used in the calculation of mathematical reserves;

k. Informing the Board of insurer about the reliability and adequacy of the calculation of mathematical reserves.

(xiii) In addition to (i) to (xi) above, the duties of the Appointed Actuary of the insurer carrying on general insurance business or health insurance business include:

a. Ensuring that the premium rates of the insurance products are fair;

b. Ensuring that the actuarial principles, in the determination of liabilities, have been used in the calculation of reserves for incurred but not reported claims (IBNR) and other reserves (including incurred but not enough reported claims (IBNER) and premium deficiency reserve (PDR) where actuarial advice is sought by the Authority;

c. Complying with section 40B & 40C of the Act;

d. Coordinating the calculation of IBNR and other reserves (including IBNER and PDR) where actuarial advice is sought by the Authority;

e. Ensuring the appropriateness of the methodologies and underlying models used, as well as the assumptions made in the calculation of IBNR and other reserves (including IBNER and PDR) where actuarial advice is sought by the Authority;

f. Assessing the sufficiency and quality of the data used in the calculation of IBNR and other reserves (including IBNER and PDR) where actuarial advice is sought by the Authority;

g. Informing the Board of insurer about the reliability and adequacy of the calculation of IBNR and other reserves (including IBNER and PDR) where actuarial advice is sought by the Authority.

(xiv) informing the Authority in writing of his or her opinion, within a reasonable time, whether,

a. the insurer has contravened the Act or any other Acts;

b. the contravention is of such a nature that it may affect significantly the interests of the owners or beneficiaries of policies issued by the insurer;

c. the directors of the insurer have failed to take such action as is reasonably necessary to enable him to exercise his or her duties and obligations under this regulation; or

d. an officer or employee of the insurer has engaged in conduct calculated to prevent him or her exercising his or her duties and obligations under this regulation.

(xv) If an Appointed Actuary is disqualified to act as an Actuary, he/she ceases to exist as Appointed Actuary forthwith;

(xvi) While carrying out his/her duties and obligations, the Appointed Actuary shall pay due regard to generally accepted actuarial principles and practice.

10. Absolute Privilege of Appointed Actuary. —

A. An Appointed Actuary shall enjoy absolute privilege to make any statement, oral or written, for the purpose of the performance of his functions as Appointed Actuary. This is in addition to any other privilege conferred upon an Appointed Actuary under any other Regulations.

B. Any provision of the letter of appointment of the Appointed Actuary, which restricts or prevents his duties, obligations and privileges under these regulations, shall be void.

11. Conflict of Interest

The Appointed Actuary shall function in accordance with these regulations and he/she shall not function in any other capacity which could result in conflict of interest in performing his/her role as Appointed Actuary in accordance with these Regulations.

12. Applicability to reinsurance business

These regulations shall apply to reinsurers carrying on reinsurance business in India except in case of a foreign insurer engaged in re-insurance business through a branch established in India.

13. Power of the Authority to issue clarifications etc.

In order to remove any doubts or difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions under these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

T. S. VIJAYAN, Chjairman

[ADVT. III/4/Exty./62/17 (161)]

<u>Form IRDA-AA-1</u>

Particulars of Appointed Actuary

1. Name of Insurer:

2. Name of Actuary:

3. Residential Address with telephone number: [Residential addresses during the last five years have to be furnished]

3.1. Whether ordinarily resident in India?

4. Official Address with telephone number:

5. Date of Appointment:

6. Date & Place of Birth:

7. Mobile No.:

8. E-mail address:

9.Annual Remuneration & Fringe Benefits:

10. Shareholding (in per cent. of shareholding) in the Indian Insurance Company (for which the applicant is the Appointed Actuary) and also in the promoter's companies, if any:

11. Professional Qualifications:

12. Working Experience:

12.1 Demonstration of experience as per Sub regulations 3 (B) (iii)/3(B)(iv)/3(B)(v):

12.1.a. Details of relevant total experience:

12.1.b. Details of relevant post qualification experience:

12.1.c. Details of post qualification experience in respect of annual statutory valuation:

13. Achievements and special positions held presently or previously:

14. Names, countries of incorporation, addresses and principal activities of any other firms or companies in which the applicant was a director, partner, proprietor, employee, consultant, peer reviewer, independent actuary on with profit committee, mentor to Appointed Actuary, worked as Panel Actuary or was associated in any manner:

14.1. Names, countries of incorporation, addresses and principle activities of any other firms or companies in which the applicant currently is a director, partner, proprietor, employee, consultant, peer reviewer, independent actuary on with profit committee, mentor to Appointed Actuary, working as Panel Actuary or currently is associated in any manner:

15. Particulars of any criminal conviction for offences in India or elsewhere:

16. Has the applicant been adjudicated bankrupt during the last ten years? If so, give details:

17. Has the applicant been disciplined by any professional body or any insurance regulator? If so give details:

18. Declaration regarding conflict of interest as per Regulation 11 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2017:

I shall function in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2017 and I shall not function in any other capacity which could result in conflict of interest in performing my role as Appointed Actuary in accordance with these Regulations.

Certification by the Appointed Actuary:

I, … (Name of the Actuary)……………………….. hereby certify that the information given in this form is complete, true and correct. I am also enclosing self-attested copies of following documents:

1. Fellowship certificate issued by the Institute of Actuaries of India;
2. Latest Certificate of Practice issued by the Institute of Actuaries of India;
3. Documentary evidence from the Institute of Actuaries of India for subject specialisation.

Place:

Date: Signature of Actuary

Certification by the Principal Officer/CEO of the insurer:

Based on the information provided by the proposed candidate, I …(Name)………………., the Principal Officer/CEO of the ……(Name of the insurer)……………………….hereby certify that

1. ☐ The proposed candidate complies with all the requirements of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2017.
2. ☐☐☐ The proposed candidate does not comply with the following requirements of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2017: (*Please mention the requirements not complied below along with appropriate reference of the regulatory provisions*)
3. ☐ I hereby apply for relaxation in respect of the following eligibility requirements as per the provisions of sub-regulation 3(F) of the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017.

   (*Please mention the requirements in respect of which the relaxation is being sought*)

* *Please strike off whichever is not applicable*

Place:

Date: Signature of the Principal Officer/CEO

Office Seal

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.14 11:26:47 +05'30'